

श्री क्रम
या
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3



अभिलेख उपस्थापित।

मालती देवी, पति स्व० महादेव राम, ग्राम-सिरसी, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-सिरसी-II, थाना नं०-121, खाता संख्या-203, प्लॉट संख्या-99, रकवा-04 डी० भूमि ललिता देवी, पति जुगेश वर्मा, ग्राम-सिरसी, शंकरपुर, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-464/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-2470/रा० दिनांक-07.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 1552 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर -

क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदिका को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत गुली कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.20 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 0.7450 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-104/V पर खाता सं०-203 एवं अन्य खाता मिलाकर कुल रकवा-74.5 डी० भूमि मालती देवी के नाम से जमाबंदी कायम है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् अवशेष रकवा 0.7050 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में मालती देवी, पति स्व0 महादेव राम, ग्राम-सिरसी, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-सिरसी-II, थाना नं0-121, खाता संख्या-203, प्लॉट संख्या-99, रकवा-04 डी0 भूमि ललिता देवी, पति जुगेश वर्मा, ग्राम-सिरसी, शंकरपुर, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहता, हजारीबाग।</p> | |